भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1870

गुरुवार, 28 जुलाई, 2016/6 श्रावण, 1938 (शक)

जाली लाइसेंस

1870. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 30 प्रतिशत लाइसेंस जाली हैं और संबंधित विभागों द्वारा लाइसेंस जारी करने के संबंध में कोई कम्प्यूटरीकृत आंकड़े नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश भर में जाली लाइसेंसों की वास्तविक संख्या की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने जाली लाइसेंसों जो कि सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) से (ग) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जाली लाइसेंसों के संबंध में केंद्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखता। तथापि, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर पर जनवरी, 2015 में किए गए विश्लेषण के अनुसार यह पाया गया कि डुप्लीकेट लाइसेंसों की संभावना है। 5 जनवरी, 2015 की तिथि के अनुसार कुल उपलब्ध 6,70,16,851 ड्राइविंग लाइसेंसों के रिकॉर्ड के फैले हुए 7,99,923 समूहों में से 16,72,138 के रिकॉर्ड डुप्लीकेट होने की संभावना पाई गई है। इस प्रचलन के अनुसार डुप्लीकेटों का संभावित प्रतिशत 2.5 है। इस सूचना को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों के साथ बॉटा गया है।

****